web: www.nyaysakshi.com | पृष्ठ-2 में पढ़ें संपादकीय-खेल-व्यापार-धर्म-खाना खजाना-राशिफल | पृष्ठ-3 में पढ़ें छत्तीसगढ़-प्रादेशिक

दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्याससाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 | Postal Registration No-055/Raigarh DN CG | रायगढ़, गुरुवार 15 सितंबर 2022 | पृष्ठ-4, मूल्य 3 रुपए | वर्ष-04, अंक- 347

महत्वपूर्ण एवं खास

हिमाचल समेत 5 राज्यों में कई समुदायों को मिला एसटी का दर्जा

नई दिल्ली (आरएनएस)। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति (एसटी) श्रेणी के तहत कई आदिवासी समुदायों को अधिसूचित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने कैबिनेट की बैठक के बाद मीडियाकर्मियों को बताया कि ये प्रस्ताव कई वर्षों से लंबित हैं। उन्होंने कहा कि मूल रूप से वर्तनी की त्रुटियों और कई समुदायों के समान लगने वाले नामों के कारण, इन्हें बहुत लंबे समय तक एसटी श्रेणी में नहीं लाया जा सका। कैबिनेट ने संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 में संशोधन करने के लिए संसद में एक विधेयक पेश करके तमिलनाडु के कुरीविक्करन समुदाय को अनुसूचित जनजाति वर्ग के तहत शामिल करने के मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसी तरह, इसने कर्नाटक के कड़ु कुरुबा के पर्याय के रूप में बेट्टा-कुरुबा समुदाय को एसटी का दर्जा दिया। यह भी संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 में संशोधन के लिए संसद में एक विधेयक पेश करके किया जाएगा। इसके अलावा, उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में गोंड, इसकी पांच उपजातियों के साथ, उत्तर प्रदेश की एसटी सूची में शामिल थे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के ट्रांस-गिरी क्षेत्र को आदिवासी का दर्जा भी दिया। निर्णय क्षेत्र के चार ब्लॉकों में हट्टी समुदाय को शामिल करने का प्रतीक है।

आईपीएस महिला अधिकारी को फर्जी अकाउंट से भेजे गए आपत्तिजनक मैसेज

नोएडा (आरएनएस)। एक आईपीएस महिला अधिकारी साइबर ठगों का शिकार हुई हैं, मामला नोएडा का है। उत्तर प्रदेश की सीनियर आईपीएस अधिकारी का फर्जी इंस्टाग्राम एकाउंट बनाकर उनकी तस्वीर और नाम का दुरुपयोग किया गया है। महिला आईपीएस मंजिल सैनी नोएडा के सेक्टर-78 स्थित एक सोसाइटी में रहती हैं। मंजिल सैनी की शिकायत पर अज्ञात साइबर अपराधी के खिलाफ सेक्टर-113 थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। साइबर ठग ने महिला आईपीएस अधिकारी का फर्जी इंस्टाग्राम बना लिया है। आरोपी उनके नाम से लोगों को आपत्तिजनक पोस्ट और मैसेज कर रहा है। मंजिल सैनी ने शिकायत में लिखा है कि उनके नाम से इंस्टाग्राम अकाउंट का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। अपनी शिकायत में मंजिल सैनी ने बताया कि जालौन के रहने वाले ऋषि सैनी नाम के व्यक्ति ने उनका फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट बना लिया है। आरोपी ने अकाउंट की डीपी पर वर्दी पहने महिला अधिकारी की फोटो लगा रखी है। आईपीएस अधिकारी ने इस मामले में पुलिस को शिकायत कर दी है।

एसआई भर्ती घोटाला : भाई पर सीबीआई के छापे के बाद सिपाही की मौत

जम्मू (आरएनएस)। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की सब इंस्पेक्टर (एसआई) भर्ती घोटाले के सिलसिले में अपने बड़े भाई के घर छापेमारी और उससे पूछताछ की खबर सुनकर जम्मू-कश्मीर पुलिस में एक कांस्टेबल की यहां अखनूर सेक्टर में उसके आवास पर संदिग्ध अवस्था में हृदय गति रुकने से मौत हो गई। रियासी में तैनात कांस्टेबल धीरज पगोत्रा की खुर के मट्टू गांव में उनके घर पर संदिग्ध हृदय गति रुकने से मौत हो गई।

जम्मू-कश्मीर के पुंछ में भीषण हादसा, खाई में बस गिरने से 11 लोगों की दर्दनाक मौत

पुंछ (आरएनएस)। जम्मू-कश्मीर के पुंछ में बुधवार को बड़ा सडक़ हादसा हुआ है। पुंछ के सावजान इलाके में एक मिनी बस हादसे का शिकार हो गई है। इस दुर्घटना में 11 लोगों की मौत हुई है। साथ ही कई अन्य लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को मंडी के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर बचाव अभियान चलाया जा रहा है। बताया गया है कि यह हादसा तब हुआ जब बस जम्मू कश्मीर के मंडी से सावजान जा रही थी। इस दौरान बस खाई में गिर गई थी।

हादसे के बाद इलाके में अफरातफरी का माहौल हो गया था। स्थानीय लोग भी मौके पर मदद के लिए पहुंचे थे। सभी घायलों को अस्पताल ले जाया जा रहा है। अफसरों ने आशंका जताई है कि हादसे में मरने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ सकती है। हादसे पर उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने शोक जताया है। उन्होंने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को 5-5 लाख रुपये के मुआवजे की घोषणा की है। इसके साथ ही उन्होंने अफसरों को निर्देश दिए हैं कि घायलों का बेहतर इलाज किया जाए।

हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा, 'जम्मू कश्मीर के पुंछ में हुए सडक़ हादसे में लोगों की मौत दुखदायी है। पीड़ित परिवारों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। मैं घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करती हूं।' वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी शोक व्यक्त किया है।

इससे पहले जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में सोमवार को एक कार के सडक़ से फिसल कर गहरी खाई में गिरने से दो लोगों की मौत हो गई थी। अफसर ने बताया था कि छीरा निवासी अजय कुमार और जगोटे निवासी रंजीत सिंह की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी। उन्होंने बताया कि ये लोग कार से थाथरी से छीरा इलाके की ओर जा रहे थे तभी नंदना गांव के निकट यह हादसा हुआ।

वहीं 5 सितंबर को भी जम्मू कश्मीर के डोडा में 2 सडक़ हादसे हुए थे। इसमें 7 लोगों की मौत हुई थी। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में दो अलग-अलग घटनाओं में दो कार सडक़ से फिसलकर नदी में गिर गई थीं, जिसमें सात लोगों की मौत हो गई थी। डोडा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अब्दुल कयूम ने बताया था कि डोडा-भद्रवाह सडक़ पर छह घंटों के भीतर हुई इन दो दुर्घटनाओं में एक व्यक्ति घायल हुआ था।

अहमदाबाद में बड़ा हादसा, निर्माणाधीन इमारत की लिफ्ट गिरने से 8 मजदूरों की दर्दनाक मौत

अहमदाबाद (आरएनएस)। गुजरात के अहमदाबाद में निर्माणाधीन इमरात की लिफ्ट टूट कर गिरने से 8 मजदूरों की दर्दनाक मौत की खबर सामने आई है जबकि एक मजदूर जख्मी हुआ है। पुलिस ने जानकारी दी है कि एस्पायर-2 नामक बिल्डिंग में यह दुर्घटना हुई है। बताया जा रहा है कि यह हादसा उस वक्त हुआ, जब बिल्डिंग के निर्माण का कार्य चल रहा था। इसी दौरान अचानक सातवीं मंजिल की लिफ्ट टूट गई और आठ मजदूरों की मौत हो गई। अहमदाबाद के गुलबाई टेकरा इलाके में ये हादसा हुआ। घटनास्थल पर पुलिस प्रशासन और अहमदाबाद फायर बिग्रेड कर्मी पहुंच गए हैं। घायल मजदूर को अहमदाबाद सिविल अस्पताल में दाखिल किया गया है। निर्माणाधीन इमारत की यह लिफ्ट टूटकर कैसे गिरी? अभी इसके बारे में विशेष जानकारी सामने नहीं आई है। उधर, इस हादसे ने एक बार फिर मजदूरों की सुरक्षा को लेकर होने वाले इंतजामों पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

ईडी का निजी फर्म पर छापा, 47.76 करोड़ रुपये का सोना-चांदी जब्त

नई दिल्ली (आरएनएस)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को रक्षा बुलियन और क्लासिक मार्बल्स से संबंधित चार परिसरों में तलाशी अभियान समाप्त किया। पारेख एल्युमिनेक्स लिमिटेड के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में तलाशी ली गई थी। ईडी ने 8 मार्च, 2018 को पारेख एल्युमिनेक्स लिमिटेड के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। एक अधिकारी ने कहा कि कंपनी ने बैंकों को ठगा और 2296.58 करोड़ रुपये का कर्ज लिया। इसके बाद विभिन्न कंपनियों के माध्यम से लेयरिंग करके पैसे की हेराफेरी की गई। असुरक्षित ऋण और निवेश प्रदान करने के संदर्भ में धन को विभिन्न खातों में भेजा गया था। वही ऋण लेने का उद्देश्य नहीं था और इस तरह के लेनदेन के लिए कोई समझौता नहीं था। तलाशी अभियान के दौरान रक्षा बुलियन के परिसर से निजी लॉकरों की चाबियां मिलीं। निजी लॉकरों की तलाशी लेने पर पता चला कि लॉकर का संचालन उचित नियमों का पालन किए बिना किया जा रहा था। अधिकारी ने कहा, केवाईसी का पालन नहीं किया गया था और परिसर में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाया गया था। अंदर और बाहर रजिस्टर नहीं था। लॉकर परिसर की तलाशी लेने पर पता चला कि 761 लॉकर थे, जिनमें से तीन रक्षा सर्राफा के थे। लॉकरों को ऑपरेट करने पर दो लॉकरों में 91.5 किलोग्राम सोना और 152 किलोग्राम चांदी मिली, जिसे जब्त कर लिया गया। रक्षा बुलियन के परिसर से अतिरिक्त 188 किलोग्राम चांदी भी जब्त की गई। ईडी ने कहा कि जब्त किए गए सामानों की कुल कीमत 47.76 करोड़ रुपये है। ईडी अधिकारी ने कहा, इस मामले में पहले 46.97 करोड़ रुपये और 158.26 करोड़ रुपये की राशि अलग-अलग तारीखों पर ईडी ने कुर्क की थी।

बेगूसराय फायरिंग मामले में अब तक गिरफ्तारी नहीं, सात पुलिसकर्मी निलंबित, पांच लोग लिए गए हिरासत में

बेगूसराय (आरएनएस)। बिहार में बेगूसराय जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में हुई अंधाधुंध फायरिंग के मामले में अब तक हुई जांच के बाद सात पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है, वहीं पांच संदिग्ध लोगों में हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। इधर, पूरे मामले की जांच के लिए चार टीम बनाई गई है। बेगूसराय के पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने बुधवार को अब तक की गई जांच का हवाला देते हुए बताया कि अब तक हुई जांच में इस बात के साफ संकेत है कि इस घटना को अंजाम देने वाले एक बाइक पर सवार दो लोग नहीं बल्कि दो बाइक पर चार लोग सवार थे।

उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की जांच के लिए चार टीमें बनाई गई हैं, जो सभी कोणों से मामले की जांच कर रही है। सीसीटीवी से मिले फुटेज का अध्ययन किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि फुटेज से कई तस्वीर निकाली गई हैं, जिन्हे आसपास के जिलों में भी पहचान के लिए भेजा गया है। वारदात को अंजाम देने वाले सभी युवा प्रतीत हो रहे हैं।

कुमार ने आगे कहा कि जिले के सभी थाना क्षेत्रों में नाकाबंदी की गई है तथा जिला के बॉर्डर को भी सील कर जांच की जा रही है। इधर, घटना के दौरान गश्त पर निकली पुलिस टीम के भी स्थानों की जांच की गई जिसमे लापरवाही पाई गई। कर्तव्यहीनता के आरोप में गश्त टीम के प्रमुखों को निलंबित कर दिया गया है।

उन्होंने बताया कि इस मामले में पांच लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है तथा हाल के दिनों में जेल से छूटे लोगों की भी जांच की जा रही है। उल्लेखनीय है कि 24 घंटे पहले बेगूसराय जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में बाइक पर सवार बदमाशों ने अंधाधुंध गोलीबारी कर 11 लोगों को गोली मार दी थी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। सभी घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है।

भोपाल में मासूम के साथ अश्लील हरकत करने वाले स्कूल बस चालक का मकान जमींदोज

भोपाल (आरएनएस)। मध्य प्रदेश की राजधानी में एक निजी स्कूल के बस चालक द्वारा नर्सरी की साढ़े तीन साल की मासूम के साथ अश्लील हरकत करने वाले बस चालक हनुमंता के अवैध मकान को ढहा दिया गया है। उसने अतिक्रमण कर मकान बनाया था। ज्ञात हो कि बिला बांग स्कूल के बस ड्राइवर ने मासूम बच्ची के साथ मानवता को शर्मसार करने देने वाली हरकत की थी। उसके खिलाफ बालिका के परिजनों की शिकायत पर बस चालक के खिलाफ मामला दर्ज हुआ, उसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई की।

कोलार क्षेत्र एसडीएम क्षितिज शर्मा ने बताया कि राजस्व अमले, पुलिस और नगर निगम ने संयुक्त कारवाई कर बिला बांग स्कूल के बस ड्राइवर के अवैध मकान को तोडऩे की कार्रवाई की है। उस ड्राइवर ने शाहपुरा क्षेत्र में वसंत कुंज कॉलोनी के पास टंकी के सामने गार्डन की जमीन पर कब्जा कर अवैध रूप से मकान बनाया था।

प्रशासन ने ड्राइवर के परिवार से मकान खाली कराकर अवैध निर्माण को तोड़ा गया है। पुलिस घटना की जांच कर रही है।

कलेक्टर अविनाश लवानिया ने एसडीएम और जिला शिक्षाधिकारी को निर्देश दिए हैं कि शासन द्वारा जारी गाइड लाइन का पालन कराया जाए और बच्चों व बच्चियों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं। सभी स्कूल बसों में, जिनमें बच्चियां आती-जाती हैं, उनमें महिला स्टाफ जरूरी है। इसके साथ ही रिकार्डिंग कैमरे भी अनिवार्य हैं। इसके लिए लगातार सभी बसों की जांच की जाए, इसके लिए अलग-अलग उडऩदस्ते बनाए जाएं और बसों की जांच भी हो।

कलेक्टर लवानिया ने आरटीओ को सभी स्कूल बसों की फिटनेस और अन्य जांच करने के भी निर्देश दिए हैं। स्कूलों में लड़कियों और छोटे बच्चों के लिए अलग बाथरूम और टॉयलेट हो, इसकी भी जांच कराई जाए। सभी जगह महिला स्टाफ तैनात रहे, इसके लिए भी निर्देश जारी करने के लिए कहा गया है।

उन्होंने कहा है, बच्चों को सुरक्षा की जिम्मेदारी स्कूल प्रबंधन की है, इसमें लापरवाही होने पर प्रबंधन को भी जिम्मेदार बनाया जाएगा और उनके विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

अलीगढ़ में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म, चार आरोपी गिरफ्तार

अलीगढ़ (आरएनएस)। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में एक 13 वर्षीय लडक़ी के साथ सामूहिक दुष्कर्म के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने यह जानकारी बुधवार को दी। अपराध में सहयोगी एक महिला, जो पीड़िता की पड़ोसी है, को भी गिरफ्तार किया गया। मामला तब सामने आया, जब लडक़ी की मां ने मामले में हरदुआगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई। अपनी शिकायत में महिला ने आरोप लगाया कि आरोपी, जिसने इस कृत्य को फिल्माया भी था, ने धमकी दी कि अगर उसने इस घटना के बारे में किसी को बताने की हिम्मत की तो वह वीडियो को सोशल मीडिया पर प्रसारित कर देगा। डीएसपी विशाल कुमार ने कहा, पीड़ित परिवार से प्राप्त शिकायत के आधार पर, आईपीसी की धारा 376 डी (सामूहिक दुष्कर्म), 506 (आपराधिक धमकी), 342 (गलत कारावास), 120 बी (आपराधिक साजिश) और पोक्सो एक्ट की धाराओं के तहत तीन पुरुषों और एक महिला के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पूरे मामले की विस्तार से जांच की जा रही है। प्राथमिकी के अनुसार, 13 वर्षीय किशोरी को रविवार दोपहर आरोपी महिला ने उसके घर में ले जाकर एक कमरे में बंद कर दिया, जहां तीन आरोपियों ने उसके साथ कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म किया। अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने अपराध का फिल्मांकन भी किया और शाम को उसे घर जाने दिया। पीड़िता की मां ने कहा, हमने शिकायत दर्ज करने के लिए रविवार को पास की पुलिस चौकी से संपर्क किया था, लेकिन वहां के पुलिसकर्मियों ने हम पर आरोपियों के साथ समझौता करने का दबाव बनाया। हालांकि, जब मामला वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में आया, तो उन्होंने प्राथमिकी दर्ज की।

अधिकारियों ने बताया कि अपराधियों को मंगलवार देर रात गिरफ्तार किया गया और आगे की जांच जारी है।

महाराष्ट्र : सांगली में भीड़ की बर्बरता, बच्चा चोर समझकर 4 साधुओं को पीटा

मुंबई (आरएनएस)। महाराष्ट्र के सांगली में बच्चा चोर होने के शक में 4 साधुओं पर हमले की खबर सामने आ रही है। जानकारी है कि उत्तर प्रदेश के मथुरा से चलकर कर्नाटक के बीजापुर जा रहे चार साधुओं के साथ महाराष्ट्र के सांगली में बुरी तरह मारपीट की गई है। बताया जा रहा है कि लोगों ने इन साधुओं को बच्चा चोर समझ कर बंधक बना लिया और मारपीट की। बाद में मौके पर पहुंची सांगली पुलिस ने चारों साधुओं को मुक्त कराया। घटना स्थल पर साधु रास्ता पूछने के लिए रूके थे।

पुलिस ने बताया कि चारों साधू कार में सवार होकर बीजापुर के पंधरपुर स्थित टेंपल टाउन जा रहे थे। सांगली के जाट तहसील के लवंगा गांव के पास ये सडक़ पर खड़े लोगों से रास्ता पूछने के लिए रूके, लेकिन लोगों ने समझ लिया कि ये कोई साधू नहीं बल्कि बच्चा चोर गिरोह के सदस्य हैं। इसके बाद लोगों ने इन्हें गाड़ी से खींच कर बाहर निकाला और बुरी तरह से मारपीट की।

पुलिस ने बताया कि चारो साधु एक धार्मिक अखाड़े से संबंधित हैं। इनमें एक महंत हैं, जबकि बाकी के तीन उनके शिष्य हैं। ये सभी अयोध्या में रहते हैं। फिलहाल वह अपनी गाड़ी से तीर्थाटन पर निकले थे। इन्होंने अयोध्या से अपनी यात्रा शुरू कर मथुरा काशी होते हुए इन्हें आखिर में कर्नाटक के बीजापुर तक जाना था। सांगली पुलिस ने घटना की जानकारी अयोध्या कोतवाली पुलिस को भी दे दी है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस के झूठे मामले दर्ज करने की सीबीआई जांच का आदेश दिया

प्रयागराज (आरएनएस)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फिरोजाबाद और मथुरा जिलों में दर्ज कुछ आपराधिक मामलों की सीबीआई जांच का आदेश दिया है, जिन पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) और अनुसूचित जाति (एससी) आयोग ने नोटिस लिया था। आरोप लगाया गया है कि पुलिसकर्मी याचिकाकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों, जो दलित हैं, के खिलाफ झूठे मामले दर्ज कर रहे हैं, ताकि उन पर 35 पुलिस अधिकारियों को झूठे मामलों का प्रबंधन करने का प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने के मामले वापस लेने का दबाव डाला जा सके।

कोर्ट ने यूपी के प्रमुख सचिव (गृह) को केस नं. 108/2022, भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 363, 366 (अपहरण) के तहत फिरोजाबाद जिले के रसूलपुर में दर्ज और अन्य संबंधित मामले सीबीआई, नई दिल्ली में दर्ज किए गए।

इससे जुड़ा एक मामला 2014 से मथुरा जिले के थाना हाईवे पर भी लंबित है। एक सुनीत कुमार और एक अन्य द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सुनीत कुमार और सैयद वाइज मियां की खंडपीठ ने सीबीआई को मामला दर्ज करने और जांच आगे बढ़ाने का निर्देश दिया।

अदालत ने इस मामले को 11 नवंबर को सूचीबद्ध करने का निर्देश देते हुए निर्देश दिया कि इस तारीख को सीबीआई अदालत को जांच में हुई प्रगति से अवगत कराए।

याचिकाकर्ताओं के अनुसार, कम से कम 35 पुलिसकर्मियों को याचिकाकर्ताओं और उनके परिवार के खिलाफ झूठे मामले दर्ज करने और सबूत गढऩे में शामिल होने का दोषी ठहराया गया है।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि उन अधिकारियों के खिलाफ एससी आयोग के विशिष्ट निर्देश के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

अदालती कार्यवाही के दौरान राज्य के वकील यह बताने में असमर्थ थे कि क्या दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई है।

इसे गंभीरता से लेते हुए अदालत ने कहा, यह स्पष्ट है कि पुलिसकर्मी याचिकाकर्ताओं के परिवार के सदस्यों के खिलाफ झूठे मामले दर्ज करने का प्रबंधन कर रहे हैं, जिसका नोटिस एनएचआरसी और एससी आयोग द्वारा लिया गया है।

याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि मथुरा जिले के पुलिस अधिकारियों ने या तो याचिकाकर्ताओं और उनके भाई के खिलाफ पहले के मामलों में समझौता करने का दबाव बनाने के लिए कई और झूठे मामले दर्ज किए हैं।